न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
02/2014	प्रा0पत्र 212 RTA	30.01.2014	17.09.2019

1. थावरमल पुत्र नत्थूराम जाति माली निवासी मनोरंजन क्लब के पीछे, वार्ड सं. 29 चूरू जिला चूरू
2. जगदीशप्रसाद पुत्र नत्थूराम जाति माली निवासी मनोरंजन क्लब के पीछे, वार्ड सं. 29 चूरू जिला चूरू

—प्रार्थीगण—

बनाम

विजयकुमार पुत्र दीपाराम जाति माली निवासी मनोरंजन क्लब के पीछे, वार्ड सं. 29 चूरू जिला चूरू

—अप्रार्थी—

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री बजरंगलाल शर्मा प्रार्थीगण
2. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह अप्रार्थी

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि दावा अनुवानी थावरमल आदि बनाम लिखमीचन्द आदि अदालतवाला में पेश किया हुआ है उक्त दावा में सफलता मिलने की प्रार्थीगण को पूरी पूरी सम्भावना है। उक्त दावा में अप्रार्थी विजयकुमार प्रतिवादी संख्या 6 पक्षकार दावा है। यह कि कृषि भूमि खेत ख.नं. 1019 रकबा 21 बीघा, ख.नं. 1081 रकबा 13 बीघा 8 विश्वा तथा ख.नं. 1084 रकबा 13 बीघा 4 विश्वा कुल रकबा 47 बीघा 12 विश्वा वाके रोही चूरू तहसील व जिला चूरू में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण ने अपना हिस्सा समस्त वादगत कृषि भूमियों में से मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में अलग विभाजित करवाने का दावा श्रीमान् जी के समक्ष पेश कर रखा है जो अदालतवाला में लम्बित है। उक्त दावा का निर्णय किया जाकर प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा अलग विभाजित किया जाना है। यह कि अप्रार्थी विजयकुमार ने कृषि भूमि खेत खसरा नं. 1084 रकबा 13 बिघा 4 विश्वा वाके रोही चूरू में निर्माण कार्य करवाने हेतु निर्माण सामग्री डलवा रखी है तथा आज नींव खोदनी शुरू कर दी है। अगर उपरोक्त वर्णित दावा के विचारण काल में दावा के निर्णय से पूर्व अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य किया जाकर वादगत भूमि की मौका की स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण का दावा पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थीगण न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जावेंगे जबकि दावा के विचारण काल के दौरान वादगत भूमि की मौका पर स्थिति यथावत बनी रहने की अवस्था में किसी भी पक्षकार का कोई अहित होने वाला नहीं है। यह कि मूल दावा में अभी पक्षकारान की तलबी के लिए कार्यवाही चल रही है। ऐसी अवस्था में अप्रार्थी द्वारा वादगत कृषि भूमि के किसी अविभाजित हिस्से पर निर्माण कार्य कर लिया जाकर मौका की स्थिति परिवर्तित कर दिये जाने की अवस्था में दावा का सम्पूर्ण न्याय निर्णय हो पाना संभव नही रह पावेगा। ऐसी स्थिति में

उपखण्ड अधिकारी

अप्रार्थी को दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वादगत भूमि की मौका की स्थिति परिवर्तित नही करने तथा निर्माण कार्य नही करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है। यह कि समस्त वादगत कृषि भूमियां अविभाजित है। जिनका खातेदारान के मध्य कोई भी विधिवत विभाजन किया हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में वादगत कृषि भूमियों का स्वरूप मूल दावा के विचारण काल के दौरन यथावत रखा जाना नितान्त आवश्यक है। यह कि अस्थाई निषधाज्ञा जारी करने हेतु आवश्यक तीनों सिद्धान्त प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक में साबित शुदा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित फरमाया जावे की वह दावा के विचारण काल के दौरान वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 1084 रकबा 13 बीघा 4 बिश्वा वाके रोही चूरू में कोई निर्माण कार्य नही करे तथा वादगत कृषि भूमि के स्वरूप को यथावत बनाये रखे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी पर तलबी नहीं हो पाई। अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक के सम्मन जारी किये गये जिसकी प्राप्ति रसीद बाद तामील प्राप्त हुई परन्तु अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी को न्यायालय समय में बार बार आवाजें लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थी की ओर से श्री ऋषिराजसिंह शेखावत एडवोकेट उपस्थित हुए एवं कथन किया कि मुल दावा में अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश कर चुके हैं अतः अप्रार्थी की ओर से मेरी उपस्थिति का अंकन करते हुए अप्रार्थी पर दिनांक 19.01.17 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त किया जाकर जवाब अवसर प्रदान किया जावे। चूंकि दावा में अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश होकर संलग्न पत्रावली है तथा समय सीमा में ही एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने का निवेदन किया है। अतः अप्रार्थी पर की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जाकर पत्रावली जवाब हेतु नियत की गई। अप्रार्थी को जवाब हेतु काफी अवसर प्रदान किये गये परन्तु जवाब पेश नहीं किया जाने पर अन्तिम अवसर एवं तत्पश्चात् कोस्ट पर अवसर दिया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि उपरोक्त अनवानी दावा प्रार्थीगण द्वारा अदालतवाला में प्रस्तुत किया जाना सही लिखा गया है मगर अर्जीदावा अदालतवाला में गलत तथ्य अंकित कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है ऐसे दावे में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की कोई संभावना नही है दावा खारिज योग्य है। मद सं. 2 प्रार्थना पत्र गलत लिखा गया होने से अस्वीकार किया जाता है इस मद में कृषि भूमि ख. नं. 1019 रकबा 21 बीघा, ख. नं. 1081 रकबा 13 बीघा 8 बिश्वा, ख.नं. 1084 रकबा 12 बीघा 4 बिश्वा कुल रकबा 47 बीघा 12 बिश्वा रोही कस्बा चूरू तहसील चूरू में स्थित होना सही लिखा गया है शेष समस्त तथ्य इस मद के गलत दर्ज किये गए होने से अस्वीकार किये जाते हैं। सही तथ्य यह है कि पुराना ख. नं. 129 तादादी 35 बीघा खाम एवं साबिक ख. नं. 157 तादादी 41 बीघा 1 बिश्वा

उपखण्ड अधिकारी

खाम रोही कस्बा चूरू लिखमण एवं मालिया उर्फ मालाराम पिसरान नानग कौम माली निवासी चूरू के बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि थी, पैमायश संवत् 2025 के दौरान नये ख. नं. साबिक ख. नं. 129 के 1029 तादादी 21 बीघा एवं साबिक खसरा नंबर 157 रोही चूरू के वर्तमान में नये ख. नं. 1081 रकबा 13 बीघा 8 बिश्वा, ख.नं. 1084 रकबा 12 बीघा 4 बिश्वा कायम हुए है मिलान क्षेत्रफल की प्रति दावा हाजा के जवाब के साथ अप्रार्थी द्वारा अदालतवाला में प्रस्तुत की गई है। खातेदार लिछमण एवं मालाराम पिसरान नानगराम ने अपने जीवनकाल में ही संवत् 2012 से पूर्व से वादगत कृषि भूमि का बंटवारा भूमि के उपजाउपन वा किस्मवार कर लिया था जिसके मुताबिक साबिक ख. नं. 129 हाल ख. नं. 1019 का खेत लिछमणराम यानी वादीगण के दादा के हिस्से पांती में वा साबिक ख. नं. 157 हाल ख. नं. 1081 वा 1084 रोही कस्बा चूरू की भूमि मालाराम उर्फ मालिया के हिस्सा पाती में रखी गई थी, इस अनुसार ही वादीगण के दादा एवं मालाराम मौके पर काश्त करते आ रहे थे संवत् 2012 से पूर्व से ही प्रमाण स्वरूपगिरदावरी संवत् 2011 से 2031 की प्रति दावा हाजा के साथ अप्रार्थी ने प्रस्तुत की है। वादीगण के दादा लिदमण का देहांत हो चुका है वा उनके एक पुत्र नत्थूराम हुए जिसका भी देहांत हो चूका है नत्थूराम के वारिसान वादीगण है जो पुराना खन. 129 वर्तमान ख. नं. 1019 काश्त रहे है इस पर वादीगण का कब्जा काश्त बंटवारा के पश्चात संवत् 2012 से पहले से ही चला आ रहा है। पुराना ख. नं. 159 हाल खन. 1081 वा 1084 रोही चूरू का लगातार हम मालाराम के वारिसान काश्त करते आ रहे है इन दोनों खसरों में मूल दावा के प्रतिवादी सं. 5 से 12 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 एवं प्रतिवादी सं. 19 से 20 का 1/2 हिस्सा खातेदारी वा कब्जा काश्त का है इस साबिक ख. नं. 159 की भूमि पर लिछमणराम के वारिसान का कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा है ना ही कभी लिछमणराम का बंटवारा के पश्चात रहा है। महज वादगत भूमि का खाता शामलात में होने से वादीगण द्वारा गलत तथ्य अंकित कर दावा वादी पेश किया गया है जिसमें गलत वा रिकॉर्ड के विपरीत तथ्य अंकित कर दावा के साथ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मौके के विपरीत लिखा गया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

मद सं. 3 प्रार्थना पत्र गलत लिखी गई होने से अस्वीकार की जाती है। इस मद में खातेदार विजयकुमार द्वारा निर्माण करने का तथ्य गलत लिखा जाकर भूमि के मौका वा स्थिति में परिवर्तन करने का तथ्य गलत लिखा गया है वादगत भूमि में ख. नं. 1084 रोही चूरू सदामत से संवत् 2012 के पहले से ही बंटवारा के मुताबिक मुझ अप्रार्थी के दादा मालाराम के हिस्सा वा पाती में आया हुआ था जिसे सदामत से मेरे दादा काश्त करते आ रहे थे जिनके वाद वादगत ख. नं. 1084 रोही चूरू मेरे अप्रार्थी के कब्जे काश्त वा उपयोग उपभोग में चली आ रही है जिसके लिए मैने दावा हाजा के साथ इस वादगत भूमि के गिरदावरियां संवत् 2011 से 2031 की प्रति प्रस्तुत की है मगर राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से खाता शामिल में दर्ज हो जाने के कारण वादीगण द्वारा गलत तथ्य दर्ज कर यह दावा के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो गलत वा वास्तविकता के विपरीत तथ्य अंकित कर प्रस्तुत किया गया होने से खारिज किये जाने योग्य है। मद सं. 4 प्रार्थना पत्र गलत लिखी गई है इसलिए मूझ अप्रार्थी द्वारा अस्वीकार की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना में जिस रकबा ख. नं. 1084 रोही चूरू के बाबत स्थगत आदेश की मांग का अनुतोष चाहा गया है वो उक्त खसरा नंबर मेरे दादा मालाराम उर्फ मालिया के समय से ही हम प्रतिवादीगण/अप्रार्थी के कब्जे काश्त उपभोग में चला आ रहा है जिसका बंटवारा संवत् 2012 के पहले से ही मेरे दादा मालाराम वा वादीगण/प्रार्थीगण के पूर्वज लिछमण के मध्य

उपखण्ड अधिकारी

हो चुका था जो राजस्व रिकॉर्ड के भी बखूबी साबित है। इसलिए इस मद के तमाम तथ्य गलत अंकित किये गए है। मैं अप्रार्थी साधिकार रूप से इस भूमि पर बतौर काबिज काश्तकार खातेदार संवत् 2012 के पहले से ही चला आ रहा हूं वा बिना किसी बाधा के इस भूमि को अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा हूँ । मद सं. 5 प्रार्थना पत्र सर्वथा गलत लिखी गई होने से मुझ अप्रार्थी द्वारा अस्वीकार की जाती है। इस मद के तमाम तथ्य वास्तविकता के विपरीत अंकित किये गए है। वादगत भूमियों का बंटवारा संवत् 2012 के पहले से ही वादीगण/प्रार्थीगण के पूर्वज लिछमण वा मुझ अप्रार्थी के दादा मालाराम के समय से ही कर लिया था जो मुझ अप्रार्थी द्वारा दावा के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से भी साबित है। उसी बंटवारा के मुताबिक हम प्रतिवादीगण वादगत भूमि का आज तक काश्त वा उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा महल भूमि का खाता राजस्व कर्मचारियों द्वारा शामिल में दर्ज होने से गलत वा वास्तविकता के विपरीत तथ्य अंकित कर दावा हाजा प्रस्तुत करवाया गया है जिसके साथ यह प्रार्थता पत्र प्रस्तुत किया है गलत तथ्य अंकित कर प्रस्तुत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

मद सं. 6 प्रार्थना पत्र अस्वीकार की जाती है प्रार्थीण द्वारा अपने दावा एवं प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है वादगत ख. नं. 1084 पर उसका कोई कब्जा काश्त नही है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने दावा के जवाब वा प्रार्थना पत्र के जवाब में स्पष्ट रूप से साबित किया है वादगत भूमि का बंटवारा संवत् 2012 से पहले से ही हो चुका है जिसके मुताबिक ख. नं. 1084 मुझ अप्रार्थी के दादा मालाराम के कब्जे काश्त में रखी गई है जिस पर काश्त मेरे दादा मालाराम के द्वारा ही लगातार की जाती रही है जो गिरदावरीयां जो दावा हाजा के साथ अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है से स्पष्ट रूप से साबित है इस भूमि पर आज तक 70 वर्षों से मेरे दादा के बाद मेरे द्वारा उपयोग उपभोग में लेते आ रही है जिससे स्पष्ट रूप से साबित है कि प्रथम दृष्ट्या ख.नं. 1084 रोही चूरू पर काबिज में अप्रार्थी चला आ रहा हूं प्रार्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है ना ही सुविधा संतुलन का सिद्धान्त बनता है ना ही अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त बनता है वादगत भूमि मुझ अप्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अंतिम मद मय अनुतोष गलत अंकित किये गया होने से अस्वीकार किया जाता है। वादीगण/प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ना ही यह भूमि वादीगण/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रही है ना ही अब ख. नं. 1084 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। उक्त भूमि सदामत से ही बंटवारा के पश्चात मुझ अप्रार्थी के कब्जे काश्त वा उपयोग उपभोग वा हिस्सा पांती की चली आ रही है इसलिए प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष इस भूमि पर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी. एक्ट निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब कथनों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त अवश्यक है परन्तु मौके पर पूर्वजों के समय से ही विभाजन होकर वादगत ख.नं. 1084 पर कब्जा काश्त अप्रार्थी का है। प्रार्थी का इस भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी द्वारा दावा में पेश दस्तावेजात से

भली भांति प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि का विभाजन पूर्व में हो चुका है तथा मौके पर अप्रार्थी काबिज काश्तकार है। इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि पर अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। छाया प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 रोही चूरू के ख.नं. 1019, 1081, 1084 कुल तादादी 47.12 बीघा में प्रार्थीगण 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. व अप्रार्थी विजयकुमार का अपनी माता व भाईयों के साथ संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. तथा अन्य खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। छाया प्रति नकल नक्शा में वादगत कृषि भूमियां दर्शित हैं।

पत्रावली एवं दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वादगत कृषि भूमि पर अप्रार्थी द्वारा निर्माण सामग्री डाला जाना एवं निर्माण किये जाने का तथ्य अंकित किया है परन्तु अप्रार्थी ने अपने जवाब में इन तथ्यों से इन्कार करते हुए वादगत कृषि भूमि का बंटवारा पूर्वजों के समय ही हो जाना बताते हुए इस कृषि भूमि पर कब्जा काश्त अप्रार्थी का ही होना अंकित किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को प्रमाणित करने के लिए ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया जिससे उक्त भूमि पर अप्रार्थी द्वारा किसी तरह का निर्माण किया जाना प्रमाणित होता हो। ऐसी स्थिति में किसी भी सह खातेदार के खिलाफ बिना किसी उचित आधार व कारण के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता। वादगत कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी के साथ अन्य सह खातेदार भी मौजूद हैं जो इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार भी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा पेश दावा में चाहा गया अनुतोष एवं हक अधिकार उन्हें पर्याप्त साक्ष्य सबूत व सुनवाई के बाद दावा के गुणावगुण के आधार पर होने वाले निर्णय से ही प्राप्त होना है जो कि इस प्रकार से प्रार्थना पत्र के आधार पर तय नहीं किये जाने हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष का प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष का प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है

आदेश आज दिनांक 17.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू